राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ

- राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ (NBSAP) **राष्ट्रीय स्तर पर अभिसमय को लागू** करने के लिए प्रमुख उपकरण हैं।
- अभिसमय के लिए आवश्यक है कि देश एक राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि यह रणनीति उन सभी क्षेत्रों में गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल है जहां विविधता प्रभावित हो सकती है।

2. नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol)

2.1. नागोया प्रोटोकॉल क्या है?

- नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) 1992 जैव विविधता अभिसमय के लिए **2010 का एक पूरक समझौता** है।
- यह अपने अनुबंधित पार्टियों (contracting parties) के लिए आनुवंशिक संसाधनों, लाभ-साझाकरण और अनुपालन के संबंध में उपाय करने के लिए दायित्वों को निर्धारित करता है।

2.2. नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य

- यह CBD के तीन उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए एक पारदर्शी कानूनी संरचना प्रदान करता है। वह उद्देश्य है: **आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।**
- प्रोटोकॉल में आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े **पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया** गया है

2.3. नागोया प्रोटोकॉल के प्रावधान

- नागोया प्रोटोकॉल में जैव विविधता संसाधनों और उनके वाणिज्यिक इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले **उचित और समान लाभ साझाकरण** को सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को एक राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है।
- प्रोटोकॉल खाद्य और कृषि के लिये वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) द्वारा स्थापित पहुँच और लाभ साझा करने के लिए पहले से मौजूद मानदंडों को पहचानता है।
- फर्मों को आनुवंशिक सामग्री जैसे रोगजनकों के उपयोग के लिए भी भुगतान करना होगा, जिसका

उपयोग टीकों (vaccines) को विकसित करने के लिए किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त, लाभ स्थानीय समुदायों के साथ साझा किए जाएँगे
- अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न केवल मूल संसाधन का उपयोग करने के लिए, बल्कि इससे विकसित व्युत्पन्न उत्पादों के लिए भी अपने मुनाफे को स्थानीय समुदायों के साथ साझा करना होगा।
- फर्म स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखेगी।

2.4. स्वीकरण और अनुसमर्थन

- प्रोटोकॉल को **29 अक्टूबर 2010** को नागोया, जापान में अपनाया गया था।
- **यह 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ।**
- **भारत ने 11 मई 2011 को** नागोया प्रोटोकॉल पर **हस्ताक्षर** किए और **अक्टूबर 2012 में हैदराबाद में आयोजित CBD** के पार्टियों के 11वें सम्मेलन (COP 11) **में इसकी पुष्टि** की।
- अप्रैल 2022 तक, इसे **137 पार्टियों** द्वारा पुष्टि किया गया है, जिसमें 136 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

2.5. नागोया प्रोटोकॉल क्यों महत्वपूर्ण है?

- नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए अधिक कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता बनाएगा:
- लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने में मदद करके, नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रोत्साहन बनाता है, और इसलिए विकास और मानव कल्याण के लिए जैव विविधता के योगदान को बढ़ाता है।

3. आइची जैव विविधता लक्ष्य (Aichi Biodiversity Targets)

3.1. आइची जैव विविधता लक्ष्य क्या हैं?

- **18 से 29 अक्टूबर 2010 को नागोया में** आयोजित पार्टियों के सम्मेलन की दसवीं बैठक में, एक संशोधित और अद्यतन **"जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना, 2011-2020"** पर सहमति बनी
- इस दस्तावेज़ में "आइची जैव विविधता लक्ष्य" शामिल हैं, जिसमें **20 लक्ष्य शामिल हैं** जो योजना में परिभाषित पांच रणनीतिक लक्ष्यों में से प्रत्येक को संबोधित करते हैं।

3.2. आइची जैव विविधता लक्ष्य के तहत रणनीतिक *लक्ष्य (Strategic Goals)*

- **रणनीतिक लक्ष्य A:** सरकार और समाज में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाकर जैव विविधता के नुकसान के अंतर्निहित कारणों का पता लगाना
- **रणनीतिक लक्ष्य B:** जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना
- **रणनीतिक लक्ष्य C:** पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करके जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना
- **रणनीतिक लक्ष्य D:** जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं से सभी का लाभ बढ़ाना
- **रणनीतिक लक्ष्य E:** भागीदारी योजना, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण के माध्यम से कार्यान्वयन में वृद्धि करना

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

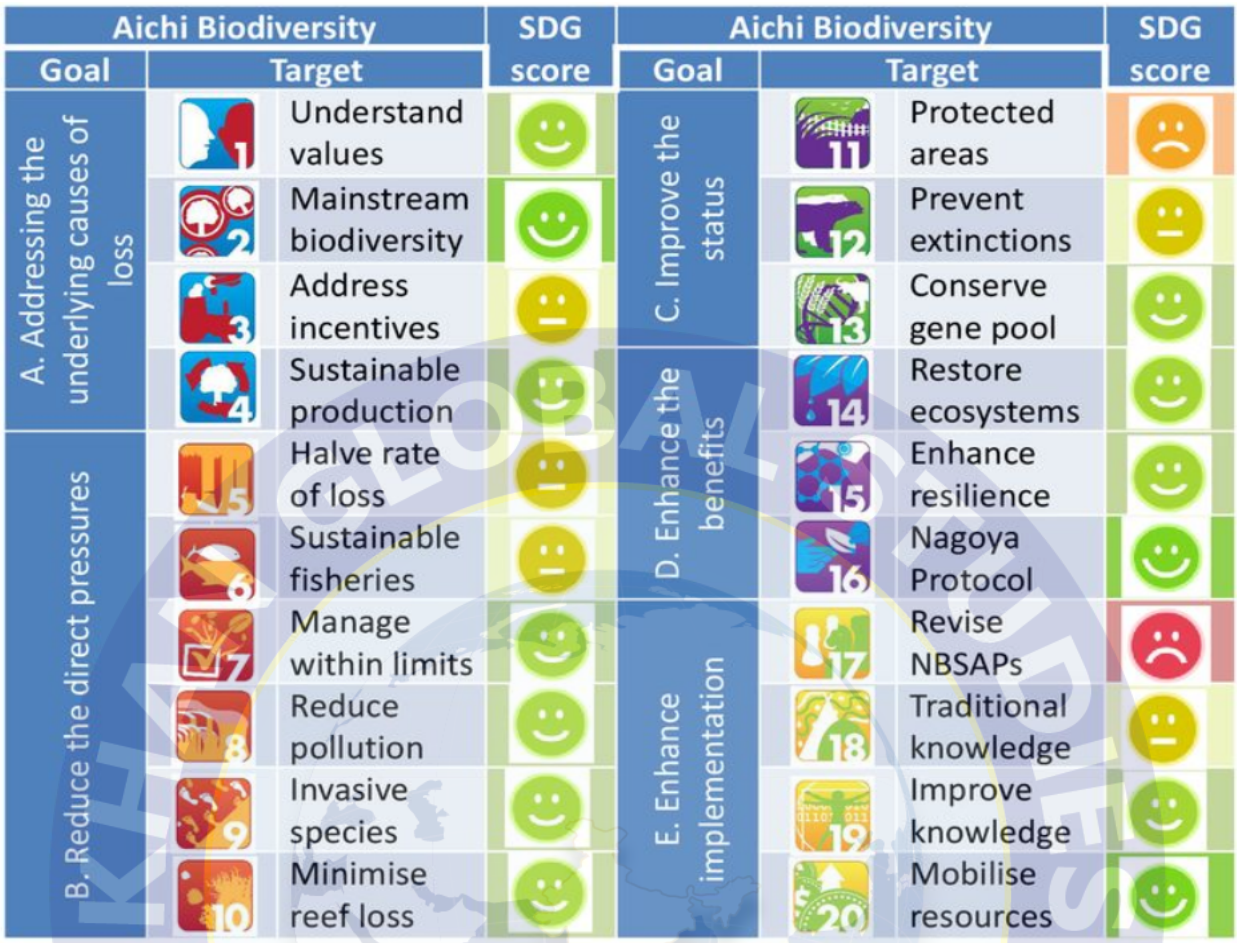

Figure: आइची जैव विविधता लक्ष्य

3.3. लक्ष्य

रणनीतिक **लक्ष्य A**

- **लक्ष्य 1:** 2020 तक, लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना।
- **लक्ष्य 2:** 2020 तक, विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं में जैव विविधता के मूल्यों को एकीकृत करना।

- **लक्ष्य 3:** 2020 तक, जैव विविधता के लिए हानिकारक घटकों को खत्म करना, चरणबद्ध तरीक़े से कम करना या सुधार करना।
- **लक्ष्य 4:** 2020 तक, सतत उत्पादन और खपत के लिए योजनाओं को लागू करना।

रणनीतिक **लक्ष्य B**

- **लक्ष्य 5:** 2020 तक, प्राकृतिक आवास के नुकसान और वनों के नुकसान की दर को कम से कम 50% तक कम करना।
- **लक्ष्य 6:** 2020 तक, अतिमत्स्यन कम करना।
- **लक्ष्य 7:** 2020 तक, कृषि, जलीय कृषि और वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रों को सतत तरीके से प्रबंधित करना।
- **लक्ष्य 8:** 2020 तक, प्रदूषण और उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करना।
- **लक्ष्य 9:** 2020 तक, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के मार्गों का प्रबंधन और रोकथाम।
- **लक्ष्य 10:** 2015 तक, जलवायु परिवर्तन या समुद्र के अम्लीकरण से प्रभावित प्रवाल भित्तियों और अन्य कमजोर पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवजनित दबाव को कम करना।

रणनीतिक लक्ष्य C

- **लक्ष्य 11:** 2020 तक, कम से कम 17 प्रतिशत स्थलीय और अंतर्देशीय जल और 10 प्रतिशत तटीय और समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों में लाना
- **लक्ष्य 12:** 2020 तक, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना।
- **लक्ष्य 13:** 2020 तक, कृषि-पौधों, पालतू जानवरों की आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना और आनुवंशिक अपक्षरण को कम करना।

रणनीतिक लक्ष्य D

- **लक्ष्य 14:** 2020 तक, महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के लिए आवश्यक जैव विविधता सेवाएं प्रदान करना।
- **लक्ष्य 15:** 2020 तक, मरुस्थलीकरण का रोकथाम करना और बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारना।
- **लक्ष्य 16:** 2015 तक, राष्ट्रीय विधानों के अनुरूप आनुवंशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करना।

रणनीतिक लक्ष्य E

- **लक्ष्य 17:** 2015 तक, एक नीति साधन अपनाना, और राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को अद्यतन करना।

- **लक्ष्य 18:** 2020 तक, जनजातीय समुदायों के ज्ञान को एकीकृत करना।
- **लक्ष्य 19:** 2020 तक, जैव विविधता, उसके मूल्यों, कार्यप्रणाली और स्थिति से संबंधित विज्ञान आधार और प्रौद्योगिकियों को लागू करना।
- **लक्ष्य 20:** 2020 तक, सभी स्रोतों से और समेकित और सहमत प्रक्रिया के अनुसार, जैव विविधता 2011-2020 के लिए रणनीतिक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना।

4. जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety)

4.1. जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है?

- यह एक कानूनी रूप से **बाध्यकारी, अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है, जो जैविक विविधता अभिसमय का पूरक है।
- यह प्रोटोकॉल देशों के बीच **जीवित परिवर्तित जीवों (LMOs) की गतिविधियों** को विनयमित करके जैविक विविधता की रक्षा करना चाहता है।
- पूर्व सूचित समझौते के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करता है ताकि देशों के पास उनके क्षेत्र में LMOs के

आयात के बारे में निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी हो

4.2. जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य

- LMOs के **हस्तांतरण, संचालन और उपयोग से जुड़े संभावित जोखिमों से** दुनिया की जैविक विविधता की रक्षा करना, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होता है।

4.3. स्वीकरण

- इसे **29 जनवरी 2000 को** CBD के पूरक समझौते के रूप में अपनाया गया और यह **11 सितंबर 2003 को लागू** हुआ।

4.4. जीवित संशोधित जीव (LMO)

- प्रोटोकॉल एक 'जीवित संशोधित जीव' को किसी भी जीवित जीव के रूप में परिभाषित करता है जो की आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का एक अनूठा संयोजन है।
- 'जीवित जीव' का अर्थ किसी भी जैविक इकाई से है जो अनुवांशिक सामग्री को स्थानांतरित करने या प्रतिकृति करने में सक्षम है, जिसमें जीवाणुरहित जीव, वायरस और वाइरोइड शामिल हैं।